मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
वाल्मी परिसर, कलिया सोत बांध के पास,
भोपाल – 462004

क्र. 6814 /22/वि–9/आर.जी.एम./2010 भोपाल, दिनांक : 26/05/2010

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला – समस्त
मध्यप्रदेश

विषय : सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (पार्टनर एनजीओ) के लिए चयन प्रक्रिया के पुनः निर्धारण के संबंध में।

पूर्व में मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 22/जलग्रहण मिशन की कण्डिका–3.2 के तहत पार्टनर एनजीओ के लिए चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। पार्टनर एनजीओं की चयन प्रक्रिया के मानदण्डों में निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है। जो कि पार्टनर एनजीओ के चयन की प्रक्रिया हेतु तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अतः पूर्व में जारी आदेश क्र 22/जलग्रहण मिशन की कण्डिका–3.2 को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार संशोधित नवीन मानदण्डों का पालन किया जावे।

1. ऐसे पार्टनर एनजीओ से ही आवेदन आंमत्रित किया जाना है जो प्राकृतिक संसाधनों/जल प्रबंधन/जलग्रहण प्रबंधन, आजीविका विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण, स्वसहायता समूह आदि के क्षेत्र में किसी भी जिले में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव रखते हों। यह आवश्यक नहीं है कि एनजीओ का अनुभव संबंधित जिले का ही हो।
2. इच्छुक एनजीओ के पिछले 03 वर्षो के इतिहास को ज्ञात किया जावे। इस इतिहास में संस्था की कार्य प्रणाली, सामर्थ्य एवं पूर्व में सम्पादित कार्यो का समाज पर प्रभाव आदि का आकलन किया जावेगा। इसके लिए संस्था के पिछले 03 वर्षो के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जावेगें।
3. इच्छुक एनजीओ का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाईटीस, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, कम्पनी एक्ट की धारा–25, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोआपरेटिव आदि के साथ में कम से कम 05 वर्ष का होना आवश्यक है।
4. इच्छुक एनजीओ द्वारा आवेदन के साथ विगत 03 वर्षो के आडिट रिपोर्ट, आय कर का ब्यौरा एवं उनके द्वारा पिछले 03 वर्षो में सम्पादित कार्यो का विवरण संलग्न किया जावे।
5. एनजीओ के पास समर्पित एवं सक्रिय विभिन्न विषय विशेषज्ञों का दल Gender Balance सहित उपलब्ध हो। जिनकी सूची आवेदन के साथ प्रस्तुत की जावे। सूची में एनजीओ के सदस्यों/विशेषज्ञों का जल संरक्षण एवं सवंर्धन, आजीविका विकास, सामुदायिक संगठन एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अनुभव एवं विशिष्टता को प्राथमिकता दी जावेगी। जिला पंचायत यह आश्वस्त करेगी की सहयोगी दल में शामिल होने की स्थिति में संस्था जलग्रहण क्षेत्र प्रंबंधन गतिविधियों से संबंधित विशेषज्ञ की देख–रेख में गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगी।
6. एनजीओ द्वारा निम्न शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों {(1) सिविल अभियांत्रिकी/कृषि अभियांत्रिकी (2) कृषि/उद्यानिकी/वानिकी/मृदा विज्ञान/ मृदा संरक्षण /पर्यावरण विज्ञान/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, (3) भूगर्भ शास्त्र/भूजल विज्ञान,(4)समाजिक कार्य/समाज शास्त्र/समाजिक संगठन/ग्रामीण विकास व प्रबंधन/आजीविका प्रबंधन एवं (5) लेखा संधारण व कार्यालयीन प्रबंधन } को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा। एनजीओ के सदस्यों के पास उक्त उल्लेखित विषयों अथवा समरूप विषयों मे कोई व्यावसायिक डिग्री तथा

संबंधित क्षेत्र मे 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । एनजीओ के सदस्यो मे कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

7. एनजीओ द्वारा पिछले 03 वर्षों में स्वंतत्र रूप से सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण।
8. एनजीओ द्वारा सफलतापूर्वक सम्पादित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण।
9. एनजीओ द्वारा पिछले 03 वर्षों में प्राप्त की गई विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण।
10. एनजीओ द्वारा शासकीय योजनाओं के तहत सम्पादित परियोजनाओं का विवरण।
11. संस्था की सामान्य सभा एवं कार्यकारणी के सदस्यों/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सम्पूर्ण विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. कपार्ट, भारत शासन तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा संस्था को काली सूची में सूचीबद्ध न किया गया हो।
13. एनजीओ को राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव अथवा इस क्षेत्र में योग्यता एवं अनुभव।
14. क्या एनजीओ का संबंधित जिले में स्थानीय ऑफिस है? यदि किसी एनजीओ का संबंधित जिले में स्थानीय ऑफिस नहीं है, परन्तु आस–पास के जिले में (Neighbouring) / जिले के संभाग में स्थानीय ऑफिस हो तो उनको भी चयनित किया जा सकता है यदि वे जिले में ऑफिस खोलने को तैयार हों साथ ही एन.जी.ओ.को जिले मे कार्य करने का अनुभव का विवरण।
15. इच्छुक एनजीओ के पूर्व इतिहास लेखा एवं ऑडिट एवं पंजीयन आदि का परीक्षण करने के उपरान्त सहयोग दल हेतु एनजीओ का चयन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।
16. उपरोक्त अनुसार पात्र संस्थाओं की सूची कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त अभिमत से मिशन मुख्यालय को अंतिम चयन हेतु प्रेषित की जावेगी।
17. राज्य स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण, मुख्यालय स्तर पर गठित वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात पार्टनर एनजीओ चयन का अंतिम निर्णय राज्य स्तर से लिया जावेगा।
18. पार्टनर एनजीओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो का 6 माह पश्चात् राज्य स्तर से नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीटर के माध्यम से कार्यो की गुणवत्ता का आंकलन एवं मूलयांकन किया जावेगा। परियोजना क्रियान्वयन संतोषजनक नही पाये जाने पर एनजीओ को पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी ।

(अजय तिर्की)
सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. भोपाल

क्र. 6815 /22/वि–9/आर.जी.एम./2010 भोपाल, दिनांक : / /2010

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, मान. मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, समस्त संभाग को कृपया सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. भोपाल